तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./1352/2003/टोंक** **नारायणी बनाम गोविन्द नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री एस0एल0 चौधरी, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय **दिनांकः 25.03.2021**

हस्तगत निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–12–2002 प्रकरण सं0 174/1999 शीर्षक **''गोविन्द नारायण बनाम हरजी''** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष वादीगण गोविन्द नारायण ने एक दावा इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजीयात वर्णित परिशिष्ट (अ) वाके ग्राम मावलपुर तहसील मालपुरा है जो वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। पूर्व में यह आराजीयात मृतक रामकरण पुत्र उदा गूजर निवासी डूंगरी खुर्द के खातेदारी में थी जो उसके मरने के बाद उसकी बेवा प्रतिवादी नं0 4 मु. धापू के नाम आई तथा इसका नामान्तरकरण धापू के नाम से भरा गया एवं प्रतिवादी नं0 4 धापू ने उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा प्रतिवादी नं0 1 व 2 को बख्शीश कर दी व कब्जा आराजी पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 का करा दिया। इसके बाद प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र वादीगण को विक्रय करके आराजीयात मुतदाविया पर वादीगण को मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से ही वादीगण उक्त आराजीयात पर बहैसियत मालिक, काबिज चले आ रहे हैं व काश्त करते हैं। प्रतिवादी सं0 3 ल0 11 का उक्त आराजीयात से कोई सरोकार नहीं है तथा जबरन लठ के बल पर आराजी मुतदाविया वादीगण के खोस कर कब्जा करना चाहते हैं व वादीगण को बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः उन्हें पाबन्द किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./1352/2003/टोंक** **नारायणी बनाम गोविन्द नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करके प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 4 ल0 11 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम पेश किया कि प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात के खातेदार व काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण नाजायज तौर पर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावें व वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। प्रतिवादी के उक्त काउन्टर क्लेम के विरूद्ध विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम निरस्त करने का निवेदन किया जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम निरस्त करके निर्णय दिनांक 19–12–2002 को पारित कर दिया जिस निर्णय दिनांक 19–12–2002 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी/प्रार्थीगण को काउन्टर क्लेम पेश करने का पूर्ण अधिकार है जो प्रार्थीगण ने आदेश 9 नियम 6 अ0 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया है जिसे परीक्षण किये बिना ही खारिज करने का कोई क्षेत्राधिकार परीक्षण न्यायालय को नहीं था। बिना साक्ष्य के गैर कानूनी तौर पर प्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम जो कि इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् था, उसे महज यह कहते हुए कि ''इस प्रकार का कोई रीलिफ काउन्टर क्लेम के जरिये नहीं मांगी जा सकती है'' व गलत तौर पर काउन्टर क्लेम खारिज किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी तौर पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये काउन्टर क्लेम को मियाद बाहर मानने में भारी भूल की है व बिला वजह प्रार्थीगण का कॉज ऑफ एक्शन 15–6–1984 से बिना किसी साक्ष्य के मानकर व काउन्टर क्लेम केवल डेमोसेस के दावे में लागू होना मानते हुए निरस्त किया है। काउन्टर क्लेम में चाहा गया रिलीफ साक्ष्य के बाद ही निर्णित किया जा सकता है व मियाद बिन्दु भी कानून एवं तथ्यों का बिन्दु है जिसे बिना शहादत निर्णित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 8 नियम 6 अ0 की मंशा को पूर्णतया नहीं समझकर प्रार्थीगण का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./1352/2003/टोंक** **नारायणी बनाम गोविन्द नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

काउन्टर क्लेम निरस्त करने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर भारी अनियमितता एवं अवैद्यानिक पूर्वक किया है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–12–2002 निरस्त किया जावें व प्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वाद का निर्णय किया जावें।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम सही तौर पर दोनों पक्षकारान की बहस सुनकर खारिज किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी बहस पर मनन किया तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड व परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगराकार (प्रार्थी) वादी द्वारा न्यायालय उपजिलाधीश में दावा इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी का पेश किया गया जिसका जवाबदावा प्रतिवादीगण नं0 4 ल0 11 की ओर से पेश किया गया। जवाब दावे के साथ ही काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया। प्रतिवादीगण नं0 4 ल0 11 ने काउन्टर क्लेम का जवाब वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया। विद्वान उपजिलाधीश, मालपुरा द्वारा दिनांक 19–12–2002 को उभयपक्ष को सुनकर प्रतिवादीगण सं0 4 ल0 11 का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रतिवादीगण सं0 4 ल0 11 द्वारा काउन्टर क्लेम में अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित फरमाया जाकर वादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावें कि वो प्रतिवादीगण नं0 4 ल0 11 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बेजा मजाहमत नहीं करें। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं0 4 ल0 11 के काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया कि काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावें।

8– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने दिनांक 19–12–2002 को प्रतिवादी सं0 4 ल0 11 का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया जिसके विरूद्व मण्डल में यह निगरानी विचाराधीन है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./1352/2003/टोंक** **नारायणी बनाम गोविन्द नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

9– इस संबंध में जाब्ता दीवानी के संबंधित प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आदेश 8 नियम 6 क.– प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा का प्रावधान हैं, आदेश 8 नियम 6 ग.– प्रतिदावे का अपवर्जन का प्रावधान है।

10– प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा दावे व प्रतिदावे पर तनकियात कायम की जाना आवश्यक था। कायमी तनकियात के पश्चात् उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना उचित है।

11– विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना तनकियात कायम किये ही प्रतिदावे (counter claim) को खारिज कर दिया, जो उचित नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी काबिल स्वीकार योग्य है।

12– अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–12–2002 खारिज किया जाता है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि दावे व प्रतिदावे में तनकियात कायम कर अग्रिम कार्यवाही की जावें।

13– उभयपक्ष विद्वान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा में दिनांक 26–4–2021 को पेश हो।

14– पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम की जावें और बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य